

85  
29/5/18

2018/00124

राजस्थान-सरकार

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प .....  
"न्याय आपके द्वार-2018" सुवाणा

198  
29-5-18

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सुवाणा व भूअनि. खोसलासोनी  
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुवाणा / नायब तहसीलदार  
की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा  
136 के अनुसरण में ग्राम सुवाणा तहसील शाहपुरा व जिला जयपुर  
की जमाबन्दी सम्वत् 2011-12 में खाता संख्या 877 में वर्तमान में दर्ज  
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सुवाणा	877	शमचन्द पुत्र मंगल	शमचन्द पुत्र मंगलपद को 5 टाउन बनाए

~~काम~~

पीठासीन अधिकारी  
(रवि विजय)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,  
शाहपुरा (जयपुर)

दिनांक :- 29/5/18

क्रमांक :- 199

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार सुवाणा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री शमचन्द सुवाणा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
(रवि लोकादालत)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,  
शाहपुरा (जयपुर)